न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/296

1. बाबूसिंह पुत्र भगवान सिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम भगेगा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।
2. हनुमान प्रसाद पुत्र बोदू जाति गुर्जर, निवासी ग्राम भगेगा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।
3. बिरजु सिंह पुत्र गुलाब सिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम भगेगा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।
4. रामस्वरूप सिंह पुत्र नारायण सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम भगेगा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।
5. नन्दराम पुत्र मदन सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम भगेगा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. करणा पुत्र मंगला,
2. कैलाश पुत्र परसा,
3. किशनलाल पुत्र अर्जुन,
4. गंगा पत्नि सुवा,
5. झाबरमल पुत्र परसा,
6. सुशीला पत्नि नारायण,
7. कुलदीप पुत्र नारायण,
8. दलिप पुत्र नारायण,
9. बंशी पुत्र सुवा **(मृतक) जरिये वारिसान**

9/1. मिश्री देवी पत्नी स्व0 बंशी,
9/2. अनूप पुत्र स्व0 बंशी,
9/3. अवतार पुत्र स्व0 बंशी,
समस्त जाति बलाई, निवासीगण भगेगा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।
9/4. पिंकी पत्नी दिलराज वर्मा,
9/5. प्रिता पत्नी दारा सिंह वर्मा,
9/6. नीतू पत्नी सुदेश वर्मा,
निवासीगण ग्राम कुरबड़ा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।
9/7. शीला पुत्री स्व0 बंशी,
9/8. वर्षा पुत्री स्व0 बंशी,
10. बीरबल पुत्र परसा,
11. तीजा पत्नी भागीरथ,
12. मुक्तिलाल पुत्र भागीरथ,
13. विनोद पुत्र भागीरथ,
14. पूरण पुत्र भागीरथ,
15. मदन पुत्र सुवा,
16. रामनिवास पुत्र परसा,
17. रामवीर पुत्र अर्जुन,
18. रामोतार पुत्र अर्जुन,
19. लिल्लू पुत्र सुवा,
20. बलदेव पुत्र परसा,
समस्त जाति बलाई, निवासीगण भगेगा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

21. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।

— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना दिनांक 28.05.2024 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट उनवानी करणा वगै0 बनाम भूमिधारी मु0 नं0 84/2024 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री दीपेन्द्र सिंह, वकील अपीलान्ट्स।
2. श्री श्यामबाबू पारीक, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 4 से 8, 9/1 से 9/8 व 10 से 18 एवं 20 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 व 19 बाद तामील अनुपस्थित।
4. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 21 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 25.05.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 28.05.2024 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 22.07.2024 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 व 9/1 से 9/8 के पति/पिता स्व0 बंशी एवं 10 लगायत 20 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त की खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 255/1, 255/2, 256, 257, 259/1, 259/2, 260, 261 कुल किता 8 कुल रकबा 5.10 है0 वाके ग्राम भगेगा, पटवार हल्का भगेगा, तहसील नीमकाथाना में स्थित है, जो प्रार्थीगण के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 06.06.2023 को पटवारी हल्का भगेगा द्वारा तहसीलदार नीमकाथाना के आदेश क्रमांक भू.अ./2023/1982 दिनांक 29.05.2023 की पालना में मौके पर जाकर किया गया तथा फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई थी।

   जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 व 9/1 से 9/8 के पति/पिता स्व0 बंशी एवं 10 लगायत 20/प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिये गये कि सींव जोड़ खातेदारान एवं पक्षकारान को जरिये नोटिस सूचित कर एवं विधिवत तामील कराकर ग्राम भगेगा के विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 255/1, 255/2, 256, 257, 259/1, 259/2, 260, 261 कुल किता 8 कुल रकबा 5.10 है0 की पत्थरगढ़ी मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 06.06.2023 के अनुसार करवायी जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2024 पारित किये गये।

   उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के उक्त निर्णय दिनांक 28.05.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स ने यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना दिनांक 28.05.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायायल उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 84/2024 के अन्तर्गत पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2024 तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। कृषि भूमि खसरा नं. 231 रकबा 0.8100 हैक्टर, खसरा नं. 232 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नं. 233 रकबा 0.1700 हैक्टर, खसरा नं. 250 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा नं. 251 रकबा 0.4400 हैक्टर, खसरा नं. 263/1 रकबा 0.0230 हैक्टर, खसरा नं. 263/2 रकबा 0.5170 हैक्टर, खसरा नं. 264 रकबा 0.1900 हैक्टर, खसरा नं. 253 रकबा 0.2200 हैक्टर खसरा नं. 254 रकबा 0.0600 हैक्टर वाकै ग्राम भगेगा आर.एस., पटवार हल्का भगेगा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में अवस्थित है। जिसकी अपीलान्ट खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है एवं चुनौतीग्रस्त पत्थरगढ़ी के आदेश में वर्णित कृषि भूमि के सींवाजोड़ पड़ौसी है। चुनौतीग्रस्त आदेश में वर्णित खसरा नं. एवं अपीलान्ट के उक्त वर्णित खसरा नम्बर के मध्य वर्षो से नींव सींव कायम है। इसलिए अपीलान्टस चुनौतीग्रस्त आदेश प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को ना ही तो योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोजित किया गया ओर ना ही अपीलान्ट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अतः चुनौतीग्रस्त आदेश विधिक प्रावधानों का उल्लंघन कर पारित किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। विधि का यह मूलभत सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश जारी किये जाने से पूर्व प्रभावित व पीड़ित पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को कोई सूचना अथवा सम्मन प्रदान नहीं किया गया है। इस कारण अपीलार्थी अपने सुनवाई के प्राकृतिक अधिकार से वंचित रह गया है। अतः अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 255/1, 255/2, 256, 257, 259/1, 259/2, 260, 261 कुल किता 8 रकबा 5.10 हैक्टर के विवादित नींव सींव की पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था ऐसी स्थिति में उक्त नींव सींव के पड़ौसी खातेदारी काश्तकार को पक्षकार बनाया जाना एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं कर सख्त कानूनी भूल की है। विवादग्रस्त कृषि भूमि की सीमाज्ञान रिपोर्ट हल्का पटवारी भगेगा द्वारा विवादग्रस्त कृषि भूमि की मौके पर जाकर तैयार नही की गई बल्कि रेस्पोडेन्ट के बताये अनुसार घर पर बैठकर तैयार की गई। इसलिए मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा मौके पर तैयार नहीं की गई होने के कारण उसके आधार पर पारित चुनौतीग्रस्त आदेश दूषित होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

कृषि भूमि की सीमाज्ञान की रिपोर्ट तैयार करते समय अथवा सीमाज्ञान के दौरान हल्का पटवारी द्वारा एवं गिरदावर द्वारा निर्विवादित सीमा चिन्ह एक सीमा से लेकर दूसरी सीमा तक अंकित किया जाना आवश्यक है जिस पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही कर सख्त कानूनी भूल की है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 128 लैण्ड रेवन्यू एक्ट दिनांक 14.03.2024 को प्रस्तुत किया गया तथा श्रीमान तहसीलदार महोदय को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया गया। तत्पश्चात आगामी पेशी दिनांक 15.04.2024 निर्धारित की गई। दिनांक 15.04.2024 को पी.ओ. साहब चुनाव कार्य में वयस्त होने के कारण आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.05.2024 नियत की गई एवं उक्त दिनांक को ही योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने पीठासीन अधिकारी तहसीलदार महोदय को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही चुनौतीग्रस्त आदेश पारित कर

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिया जो किसी भी स्थिति में स्थिर रहने योग्य नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का उल्लघंन कर तथा राजनैतिक दुर्भावनावश राजनैतिक दबाव से प्रेरित होकर पक्ष विशेष को लाभ पहुंचाने की गर्ज से अपीलाधीन आदेश अपीलार्थी के विधिक एवं साम्पतिक अधिकारों का उल्लघंन कर पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 14.03.2024 को प्रकरण दर्ज किया जाकर आगामी तारीख पेशी पर ही प्रभावित पक्षकार/अपीलान्टस को पक्षकार संयोजित किये बिना ही सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना न्यायिक विवेक का प्रयोग किये ही आदेश पारित किया गया इस प्रकार चुनौतीग्रस्त आदेश, न्यायिक विवेचन के अभाव से ग्रसित है। अतः अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विपरीत पटवारी हल्का एवं गिरदावर ने माननीय न्यायालय के आदेश की समुचित रूप से पालना न कर सींवा जोड़ खातेदार, काश्तकार अपीलान्टस को पत्थरगढ़ी करने से पूर्व जरिये विधिवत नोटिस सूचित नही करके सीधे ही रेस्पोडेन्ट के खेत खसरा नम्बर 255/1, 255/2, 256, 257, 259/1, 259/2, 260, 261 कुल किता 8 रकबा 5.10 हैक्टर पर पत्थरगढ़ी करवाने पहुंचे ओर अपीलान्टस के खेत खसरा नम्बरान 231 रकबा 0.8100 हैक्टर, खसरा नं. 232 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नं. 233 रकबा 0.1700 हैक्टर, खसरा नं. 250 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा नं. 251 रकबा 0.4400 हैक्टर, खसरा नं. 263/1 रकबा 0.0230 हैक्टर, खसरा नं. 263/2 रकबा 0.5170 हैक्टर, खसरा नं. 264 रकबा 0.1900 हैक्टर, खसरा नं. 253 रकबा 0.2200 हैक्टर खसरा नं. 254 रकबा 0.0600 हैक्टर की सींव को खुर्द बुर्द करने लगे और अपीलान्टस के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि में पत्थरगढ़ी करने लगे तो अपीलान्टस ने इस सम्बन्ध में जानकारी चाही ओर अपीलान्टस ने न्यायालय आदेश की प्रति दिखाने के लिये कहा तो रेस्पोडेन्टस आग बबूला हो गये ओर कहने लगे कि हम तो आपकी तरफ लगती नींव सींव को खुर्द बुर्द करेगें और आपके कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि पर पत्थरगढ़ी कर कब्जा करेगें, तुम चाहकर भी हमारा कुछ नही बिगाड़ सकते। ऐसी स्थिति में अपीलान्टस द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर जानकारी हासिल की जिस पर उक्त चुनौतीग्रस्त आदेश की जानकारी हुई। रेस्पोडेन्ट उक्त चुनौतीग्रस्त की आड़ में कृषि भूमि खसरा नं. 231 रकबा 0.8100 हैक्टर, खसरा नं. 232 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नं. 233 रकबा 0.1700 हैक्टर, खसरा नं. 250 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा नं. 251 रकबा 0.4400 हैक्टर, खसरा नं. 263/1 रकबा 0.0230 हैक्टर, खसरा नं. 263/2 रकबा 0.5170 हैक्टर, खसरा नं. 264 रकबा 0. 1900 हैक्टर, खसरा नं. 253 रकबा 0.2200 हैक्टर खसरा नं. 254 रकबा 0.0600 हैक्टर वाकै ग्राम भगेगा आर.एस., पटवार हल्का भगेगा तहसील व जिला सीकर नवसृजित जिला नीमकाथाना की सींव को खुर्द बुर्द कर अपीलान्टस के कब्जे काश्त की उक्त कृषि भूमि पर कब्जा कर हड़पना चाहते है यदि रेस्पोडेन्टस अपने इस कुउदेश्य में सफल हो गये तो अपीलान्टस को इस कदर असीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना भविष्य में किसी भी प्रकार से सम्भव नही होगा। इस कारण रेस्पोडेन्टस को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाना उचित, आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित चुनौतीग्रस्त आदेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि "आप सींवा जोड़ खातेदारान एवं पक्षकारान को जरिये नोटिस सूचित कर एवं विधिवत तामील करवाकर ही विवादित खसरा नम्बरान की पत्थरगढ़ी मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट के करावें।" किन्तु तहसील कर्मचारियों द्वारा इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के आदेश की कतई पालना नहीं कर मौके पर

पत्थरगढ़ी करने पर आमादा हुए इसलिए अपीलान्टस को उक्त आदेश के खिलाफ अपने साम्पतिक अधिकारों की सुरक्षार्थ अपील प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 28.05.2024 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट्स सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट्स को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर मुकदमा संख्या 84/2024 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2024 निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 4 लगायत 8, 9/1 लगायत 9/8 व 10 लगायत 18 एवं 20 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 व 9/1 से 9/8 के पति/पिता स्व0 बंशी एवं 10 लगायत 20 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त की खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 255/1, 255/2, 256, 257, 259/1, 259/2, 260, 261 कुल किता 8 कुल रकबा 5.10 है0 वाके ग्राम भगेगा, पटवार हल्का भगेगा, तहसील नीमकाथाना में स्थित है, जो प्रार्थीगण के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 06.06.2023 को पटवारी हल्का भगेगा द्वारा तहसीलदार नीमकाथाना के आदेश क्रमांक भू.अ./2023/1982 दिनांक 29.05.2023 की पालना में मौके पर जाकर किया गया तथा फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई थी। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर बदस्तूर कब्जा काश्त होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है और प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी आराजीयात व फसल की पशुओं से सुरक्षार्थ आदि के लिये पत्थरगढी इत्यादि करवाने का कानूनन हक, अधिकार प्रदत्त है। उन्होंने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 व 9/1 से 9/8 के पति/पिता स्व0 बंशी एवं 10 लगायत 20 की आराजी की ही पत्थरगढी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2024 पारित किये गये। जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थीगण को किसी प्रकार के उज्रात करने का कानूनी हक अधिकार प्रदत्त नहीं है बल्कि अपीलार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 व 9/1 से 9/8 के पति/पिता स्व0 बंशी एवं 10 लगायत 20 को बैजा हैरान परेशान करने के उद्देश्य से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील पेश की गई है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावें।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 21 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2024 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने के अधिकारी है। अपीलांट्स का

प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 व 9/1 से 9/8 के पति/पिता स्व0 बंशी एवं 10 लगायत 20 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 एल.आर.एक्ट में कृषि भूमि के सींवजोड़ पडौसी खातेदार काश्तकार अपीलांट्स को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए अपीलांट्स द्वारा तहत न्यायालय में कोई जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 व 9/1 से 9/8 के पति/पिता स्व0 बंशी एवं 10 लगायत 20 के कथनों को सही मानते हुए एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। हाल रेस्पोडेन्ट्स की आराजी से लगती हुई अपीलान्ट्स की भूमि स्थित है। अपीलान्ट्स उक्त विवादित भूमि के समीपस्थ पक्षकारान् है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2024 निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलान्ट्स हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे।

अतः आदेश है कि :– अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.05.2024 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 25.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर